रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266975
CG-DL-E-16102025-266975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947
No. 4559] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4688(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 6 (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6च. अमान्यताप्राप्त औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का पुनर्स्थापन:-

(1) अमान्यताप्राप्त औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार, मामले-दर-मामला आधार पर एक बारगी पुनर्विलोकन पर विचार किया जाएगा:-

(i) यदि मूल गारंटी जब्त कर ली गई है या समाप्त हो गई है, तो खंड 6ख के उप-खंड (2) में यथा विनिर्दिष्ट नई निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने सहित अतिरिक्त शर्तों के साथ या उनके बिना औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की पुनर्स्थापना करना;

(ii) औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की समाप्त अवधि को सात वर्ष से अधिक समय के लिए नियमित करने के लिए, खंड 6ग के उपखंड 2 की मद (ग) के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रति वर्ष पचास लाख रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा की जाएगी और 1 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक दी गई कोविड-19 अवधि की छूट लागू रहेगी;

(iii) पुनर्स्थापित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की वैधता को, जैसा उचित समझा जाए, इसके कार्यान्वयन के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, प्रत्येक वर्ष के लिए पचास लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा किए जाने के अधीन जिसके लिए विस्तार मांगा गया है, जो खंड 6ख के उपखंड (2) के अंतर्गत प्रस्तुत बैंक गारंटी के अतिरिक्त होगी:

परन्तु पुनर्स्थापित औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की वैधता अवधि को नियमितीकरण के बाद अधिकतम दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं, खंड 6 क के स्पष्टीकरण 4 में विनिर्दिष्ट प्रभावी चरणों के पूरा होने के लिए और इस अवधि से आगे विस्तार केवल प्रभावी चरणों के पूरा होने पर ही अनुमेय होगा;

(iv) खंड(iii) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए अधिकतम दो वर्ष की अवधि का विस्तार दिया जाएगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा और इस सीमा से आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा; और

(v) यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य अपर्याप्त पाए जाते हैं या परिस्थितियां पुनर्स्थापना को उचित नहीं ठहराती हैं तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(2) जहां औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन को इस खंड के अधीन पुनर्स्थापित किया जाता है, संबंधित व्यक्ति को इस आदेश के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा, जिसमें खंड 6क के अधीन न्यूनतम दूरी की अपेक्षाएं भी शामिल हैं, जब तक कि पुनर्स्थापना आदेश उपांतरित न किया जाए:

परन्तु ऐसा विस्तार, प्रभावी कदम उठाने या चीनी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के परामर्श से, यदि आवश्यक समझा जाए, प्रदान किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि वाणिज्यिक उत्पादन एक वर्ष की किसी विस्तारित अवधि के भीतर प्रारंभ नहीं होता है, तो उस विस्तार के लिए जमा पचास लाख रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और यदि वाणिज्यिक उत्पादन ऐसी किसी विस्तारित अवधि के भीतर प्रारंभ नहीं होता है, तो खंड 6ख के उप-खंड (2) के अधीन जमा बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी।"

[फा. सं. 3(3)/2018-एसपी-I]

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या सा.का.नि. 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्या का.आ. 4646 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 16th October, 2025

S.O. 4688(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act,1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely: -

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, after clause 6 (E), the following clause shall be inserted namely:-

"**6F. Reinstatement of Derecognised Industrial Entrepreneur Memorandum:-**

(1) Upon receipt of the application of reinstatement of derecognised Industrial Entrepreneur Memorandum, one time review shall be considered on case-to-case basis, as per the following conditions:-

(i) reinstate the Industrial Entrepreneur Memorandum with or without additional conditions, including the submission of a fresh performance guarantee as specified in sub-clause (2) of clause 6B, if the original guarantee has been forfeited or expired;

(ii) for regularisation of the expired period of Industrial Entrepreneur Memorandum beyond seven years, as per item (c) of sub-clause 2 of clause 6C, additional bank guarantee of rupees fifty lakh per year to be submitted by the project proponent and relaxation of COVID-19 period granted from 1st day of March, 2020 to 28th February, 2022 shall continue to apply;

(iii) extend the validity of reinstated Industrial Entrepreneur Memorandum for its implementation, as deemed fit, subject to furnishing of a bank guarantee of rupees fifty lakh for each year for which the extension is sought, which shall be in addition to the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B:

Provided that the validity period of the reinstated Industrial Entrepreneur Memorandum may be extended after regularisation for a maximum of two years, not exceeding one year at a time, for completion of the effective steps as specified in *Explanation* 4 to clause 6A and further extension beyond this period shall be permissible only upon completion of the effective steps;

(iv) upon the expiry of the period specified in clause (iii), a maximum period of two years extension, not exceeding one year at a time, for commencement of commercial production shall be allowed and there shall be no further extension beyond this limit; and

(v) reject the application, if the evidence provided by the project proponent is deemed insufficient or the circumstances do not justify reinstatement.

(2) Where the Industrial Entrepreneur Memorandum is reinstated under this clause, the concerned person shall be required to adhere to all provisions of this Order, including the minimum distance requirements under clause 6A, unless modified in the reinstatement order:

Provided that such extension may be granted for taking effective steps or for the commencement of commercial production of sugar, in consultation with the State Government concerned and the Department of Legal Affairs in the Ministry of Law and Justice, if considered necessary:

Provided further that in case the commercial production does not commence within any such extended period of one year, such bank guarantee of rupees fifty lakh so furnished for that extension shall be forfeited and if commercial production does not commence within any of such extended period, the bank guarantee furnished under sub-clause (2) of clause 6B shall also be forfeited."

[F. No. 3(3)/2018-SP-I]

ASWANI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1126/ Ess.Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966 and was lastly amended *vide* number S.O. 4646(E), dated the 30th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.16 21:53:58 +05'30'